



CNR-UPLL010010942025

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्ष०) ललितपुर।

विविध वाद संख्या- 159/2025

कमल सिंह बनाम ओमप्रकाश आदि

**11.03.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई। परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी को कई बार पर्याप्त अवसर देने पर भी वह उपस्थित नहीं आया और न ही उसकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित है और न ही उसकी ओर से किसी प्रकार का स्थगन दिया गया है। बार-बार पुकार लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं है जिससे यह परीलक्षित होता है कि परिवादी को उक्त परिवाद में कोई रुचि नहीं है। परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बीएनएसएस अंकित नहीं कराया है और न ही साक्षीगण के बयान को अंकित कराया है। परिवाद में किये गये कथनों के समर्थन में विपक्षीगण के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः बिना किसी साक्ष्य के विपक्षीगण को प्रकरण में विचारण हेतु तलब किये जाने के कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

#### आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में वर्तमान परिवाद, पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद न होने के कारण एवं परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक **11.03.2026**

(सुनील सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्ष०)

ललितपुर।